

**कार्यालय,
राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, अयोध्या।**

संख्या- प्राशिक्ष/परिषद/सम्बद्धता/2020/1071

अद्यतन दिनांक: 15-8-2020

-कार्यालय द्वारा-

राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, रा. शिक्षा/अधीन कार्यालय जीए इण्डिया, न्यू दिल्ली द्वारा संकेत सं. 2020-21 हेतु निर्देशित राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा संस्थानों को अनुसूचित प्रदान किए जाने से संबंधित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता/सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को अधिसूचना नं. 4008 प्रदान हुई। इसके से संबंधित द्वारा सं. 2020-21 हेतु प्राविधिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विचार/अनुसूचित/पूर्व प्रदान किए। संबंधित अधिसूचना सं. 4008 के अंतर्गत सं. 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्देश किया गया।

उक्त से अनुक्रम में सम्बद्धता संबंधित जो विचारों को प्रदान के अंतर्गत परामर्श संबंधित करने वाली पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान विचार-विमर्श पर विचारित निर्णय किया गया -

- किसी क्षेत्र में स्थापित विद्यालयों को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बद्धता से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीएचडीआईए द्वारा उन्हें स्थापित अनुसूचित विचार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीएचडीआईए द्वारा प्रदान किये गए अनुसूचित विचारों के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अधिकतम पाठ्यक्रम/प्रवेश दास्ता में सत्र सत्र 2020-21 हेतु प्राविधिक से सम्बद्धता विचार प्रदान किये जाने पर अधिसूचना द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीएचडीआईए द्वारा प्रदान अनुसूचित विचारों के अनुसार सत्र 2020-21 हेतु प्राविधिक से सम्बद्धता विचार दिए जाने का निर्णय किया गया।

दिनांक 15-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद को प्रदान की गई अधिसूचना निर्देशित के अनुक्रम में निर्देशित प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को अधिसूचना सं. 4008 के अंतर्गत परामर्श प्रदान की जायेगी -

क्र. सं.	संस्था का नाम	विवरण का विवरण	विवरण का विवरण	पीएचडीआईए द्वारा		पीएचडीआईए /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित विचार प्रदान करने
				सं. 2020-21	सं. 2020-21	
1	आर.के. प्रसाद जी.पी.सी. उच्च प्रा. वि. सं. 1071, अयोध्या	विद्यार्थी द्वारा निर्देशित	विद्यार्थी द्वारा निर्देशित	आ	आ	30

संकेतित हेतु 2020

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को अधिसूचना सं. 4008 के अंतर्गत परामर्श प्रदान किया गया।
- ✓ सत्र 2020-21 हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को अधिसूचना सं. 4008 के अंतर्गत परामर्श प्रदान किया गया।


प्राचार्य/प्रबन्धक
 राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद,
 उत्तर प्रदेश, अयोध्या, उत्तर प्रदेश
 अयोध्या-202001

कार्यालय

संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश अखण्डक

संख्या:- प्राधिपापरिषद/सम्बद्धता/2021/3597

तखनक दिनांक: 09/08/2021

सम्बद्धता आप

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संघीय स्तर 2021-22 हेतु विद्यापीठ स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखण्डक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा स्तर 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व ही संश्लिष्ट संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मुद्दों पर विचार करने हुए सन 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखण्डक द्वारा सन 2021-22 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम : 3008-TEJAB INSTITUTE OF PHARMACY,P.S.NAGAR,SAKHWAI BEWAR ROAD,FATEHGARH , FARRUKHABAD-209851

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एड-आर्सें0सी0टी0ई0पी0सी0आर्सें0 द्वारा सन 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सन 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एड-आर्सें0सी0टी0ई0पी0सी0आर्सें0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली-1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य विनियम निर्णय एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक हर्बेट पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक ऊर्ध्वसे पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, जोर तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सन 2021-22 हेतु फीस का पुनर्विचार किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा समिति तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाना विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शुरुआत में संस्था को संस्था की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।


 प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखण्डक
 नई दिल्ली